तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री पंकज नरुका, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री समीर अहमद अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री एस0के0शर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण निर्णय दिनांकः 19.8.2020 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त कलक्टर बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2006 के विरुद्ध पेश की गयी है । 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी बसन्त कुमार पुत्र श्री गणेशलाल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 का अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि भण्डारिया तहसील कुशलगढ में स्थित प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे नम्बर 27 से लगी हुई रास्ते/सार्वजनिक मार्ग की भूमि सर्वे नम्बर 129 ग्राम मोर तहसील कुशलगढ में अवस्थिति है। उक्त भूमि का उपयोग लम्बे समय से रास्ते के रुप में होता चला आ रहा है। यह आराजी जमाबन्दी में भी रास्ते के रुप में बिलानाम नाकाबिल काश्त बंजर दर्ज है, जिसमें 0.70 एकड़ पडत तथा 0.62 एकड़ रास्ता बन्दोबस्त खतोनी सम्वत् 2015 में दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बर 129 का आवंटन दिनांक 30.7.72 को अप्रार्थी संख्या 1 समरथमल को गैर कानूनी रुप से कर दिया जबकि वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या एक उपाध्यक्ष नगर पालिका कुशलगढ के पद पर आसीन था। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 14.7.73 को तस्दीक किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक का नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया। उनका तर्क है कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की अनुपालना नहीं की गयी फिर भी नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 23.6.84 आवंटी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का दर्ज किया गया है। मौके पर विवादित आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि रास्ता के रुप में काम में आ रही है। ऐसी भूमि का आवंटन आरटीए की धारा 16 के तहत अवैध है, इसलिए आवंटी/अप्रार्थी संख्या–1 को सार्वजनिक उपयोग की भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 29.9.2006 को खारिज कर दिया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3— उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी सुनी गयी। 4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम,1970 केवल भूमिहीन काश्तकारों को ही किये जाने का प्रावधान है। लेकिन विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या—1 समरथमल को तब किया गया जब वह उपाध्यक्ष नगर पालिका कुशलगढ के पद पर पदासीन था, जिससे आवंटी को किया गया आवंटन अविधिक एवं कानून में प्रावधित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का कब्जा आवंटी का होना अंकित किया है जबकि आवंटी का आवंटित रकबे पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जो गैर कानूनी है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 29.9.2006 को निरस्त कर तथा अप्रार्थी संख्या—1 को किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया। 5— इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि आरजी खसरा नम्बर 129 अप्रार्थी समरथलाल के खातेदारी का है जिसमें से 0.32 एकड में टीमेडा—कुशलगढ सडक बनी हुई है तथा इसके बाद 1.00 एकड भूमि जो शेष रही है वह ख0न0129/1त्रिकोणाकार के रुप में स्थित है। त्रिकोणाकार भूमि सडक की होना असम्भव है और ना ही यह रास्ते के रुप में कभी सार्वजनिक उपयोग में ली गयी है। विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को 40 वर्ष पूर्व होकर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को सही खारिज किया है। आवंटी को आवंटन 1970 के नियमों के तहत ही किया गया है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस भी खारिज किया जा चुका है। अन्त में निगराधीन निर्णय को उचित व कानून सम्मत बताते हुए निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया गया । 6— हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कुशलगढ की रिपोर्ट व आन्तरिक जॉच दल के आक्षेप के अध्ययन से यह स्थिति सामने आती है कि आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 1.32 एकड़ की पूरी आराजी रास्ते के रुप में अभिलेख में अंकित नहीं थी बल्कि इसमें से मात्र 0.62 एकड़ रकबा ही रास्ते के रुप में अंकित थी, उक्त 0.32 एकड भूमि का उपयोग कुशलगढ—टीमेडा— बांसवाडा रोड के रुप में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जा रहा है। शेष बची आराजी रेस्पोडेंट समरथलाल के कब्जे में चली आ रही है। आवंटी/रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटन को हुए 34 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है तथा रेस्पोडेंट/आवंटी को खातेदारी अधिकार भी 1984 में मिल चुके हैं अर्थात आवंटी को खातेदारी प्राप्त हुए भी 22 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इतने लम्बे अर्से के बाद आवंटी के पक्ष में हुए आवंटन एवं खातेदारी को नियम 14(4) के तहत या रेफरेंस के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो उचित व कानून सम्मत है, जिसमें हम हस्तगत निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस के दौरान उठाये गये सभी उज्रात, निराधार होने से यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। 7— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2006 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (पंकज नरुका) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए